The Reserve Bank of India has intimated that none of the cases has been reported to it as having been solved.

### वाणिज्य मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति

1083. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, सस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा हिन्दी में यह कार्य किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलो में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए हुए 10 वर्ष हो चुके है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी)** : (क) चालू वर्ष के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की 18-9-1987 को एक बैठक हुई है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में कोई भी गैर-सरकारी पर्यवेक्षक आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ख) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय में जिन अन्य अनुभागों को 25 फरवरी, 1986 से हिन्दी में सभी कार्य करने के लिए अभिज्ञात किया गया है; रोकड-I, रोकड-II, तथा स्थापना-IV अनुभाग। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय के विभागों, सस्थानों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सम्बंध में जानकारी का सम्बन्ध है, उसे संगठनों से एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले दस्तावेजों को मंत्रालय में द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कुछ संगठनों में धारा 3(3) का कार्यान्वयन न होने सम्बंधी कारण, प्रशिक्षित हिन्दी स्टाफ तथा यांत्रिक सुविधाए आदि उपलब्ध न होने जैसी सुविधाओं का अभाव है। उन संगठनों में ग्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

### हिन्दी भाषा का विकास

1084 **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी भाषी राज्यों को परियोजनाओं से संबंधित अपने सभी कागजात केवल अंग्रेजी में प्रस्तुत करने पडते है जब कि उन की राजभाषा हिन्दी है और वे वर्ग "क" के अन्तर्गत भी आते है और क्या इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार की केवल एक ही भाषा है, अंग्रेजी जिसमें इन सभी कागजात पर विचार किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई राज्य अपने इस तरह के कागजात हिन्दी भाषा में भेजता है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद में ही लगभग एक महीना लग जाता है, इस के पश्चात् इन पर विचार किया जाता है, और जब इनका उत्तर भेजा जाता है, तो पुन: इनका हिन्दी में अनुवाद कराने में लगभग एक महीना लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप,

जो राज्य अपने कागजात हिन्दी में भेजते हैं उन के सम्बन्ध में इस प्रकार अनावश्यक विलम्ब हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार हिन्दी भाषा का प्रचार करने के लिए किस प्रकार से राजभाषा का विकास करने का विचार रखती है?

**वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढवी)** : (क) और (ख) जी. नहीं। 'क' क्षेत्र के राज्य केन्द्र को अपनी परियोजना रिपोर्ट हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कभी ऐसे कागजात हिन्दी में प्राप्त होते हैं और यदि उनका अनुवाद कराना आवश्यक होता है तो उनके अनुवाद कराने में अधिक समय नहीं लगता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Rehabilitation of Families of Victims of Punjab extremists activities**

1085. SHRI MAHENDRA PRASAD :
DR. RATNAKAR PANDEY :
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what progress has so far been made to help rehabilitate the families of victims of Punjab extremists' activities in various States and Union Territories; and

(b) what progress has so far been made to help rehabilitate the families which have been forced out of Punjab due to terrorist activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) The steps taken by the Government of Punjab to help rehabilitate the victims of terrorist violence include grant of financial assistance, allotment of LIG house free of cost, reservation in allotment of residential/commercial/industrial plots, booths, shops etc., loans, pension to widows, training facilities, ex-gratia grant on the occasion of marriage of a daughter of the deceased, job to a member of the family of the deceased, educational facilities, relief in case of damage to buildings/loss of merchandise An expenditure of over Rs. 7 crores has been incurred by the State Government in this regard upto 15th October, 1987.

(b) The Government of Punjab have offered the following incentives to motivate the migrant families to return to the State. (i) ex-gratia grant of Rs. 5000/- (ii) transport grant of Rs. 2500/-, (iii) bank loan up to Rs. 25000/- including subsidy component of Rs. 5000/- to start income generating activities, (iv) allotment of LIG house on concessional terms or grant of house rent allowance of Rs. 250/- per month, (v) assistance in admission in schools, (vi) in the case of widows class III/class IV jobs for one dependant, pension of Rs. 250/- per month for three years and free allotment of LIG house. As a result, 325 families have already returned to Punjab upto 30th October, 1987. They are being provided facilities as admissible under the scheme framed by the Government of Punjab.

In Delhi the migrants are being given financial assistance for food at the rate of Rs. 10/- per member per day subject to the maximum amount of Rs. 1000/- per